

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/एस-236/2019/

दिनांक:-

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक नर्सिंग/नर्स-2(F)/एस-236/2019/108 दिनांक 24.01.2019 के द्वारा श्रीमती संगीता, नर्स-2, राजकीय डी.बी. जनरल जिला अस्पताल, चूरु को विदेश भ्रमण हेतु (नीदरलैण्ड) जाने की अवधि दिनांक 04.02.2019 से 17.02.2019 तक 14 दिवस की अनुमति प्रदान की गई थी। कार्मिका ने पुनः संशोधित दिनांक 06.03.2019 से 19.03.2019 तक 14 दिवस की स्वीकृति करने तथा पूर्व स्वीकृति निरस्त करने हेतु निवेदन करने पर दिनांक 06.03.2019 से 19.03.2019 तक 14 दिवस की स्वीकृति निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. कार्मिका विदेश जाने से पूर्व सक्षम स्तर से वांछित अवधि का अवकाश स्वीकृत करवाकर प्रस्थान करेंगी तथा स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जावेगी।
 2. विदेश जाने हेतु किसी प्रकार का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
 3. अवकाश समाप्ति के पश्चात अपनी ड्यूटी पर अविलम्ब उपस्थित होंगे।
 4. विदेश में किसी प्रकार का रोजगार एवं नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
 5. विदेश प्रवास के दौरान राज्य सेवा से त्याग पत्र एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।
 6. कार्मिका विदेश जाकर किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करेगी।
- उक्त स्वीकृति संयुक्त शासन सचिव, (ग्रुप-3) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ-35(28)/चिस्वा/ग्रुप-3/2017/ दिनांक 16.11.17 के अनुसरण में जारी की जाती है।

—sd—
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 7/2/19

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/एस-236/2019/170

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजकीय डी.बी. जनरल जिला अस्पताल, चूरु।
2. श्रीमती संगीता, नर्स-2 द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी,
3. प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
4. आदेश पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर